

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III —Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 367] No. 367] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 12, 2015/कार्तिक 21, 1937

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 12, 2015 /KARTIKA 21, 1937

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) अधिसूचना

नई दिल्ली. 4 नवम्बर. 2015

फा. सं. 1-99/1/एसपी(संदूषक)/एफएसएसएआई/2009.—खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अविषष्ट) (संशोधन) विनियम, 2015 का संशोधन करने के लिए, कितपय विनियमों का प्रारूप, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा. सं. पी॰ -15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई तारीख 9 अप्रैल, 2015 को प्रकाशित किया गया था, उन पर उन सभी व्यक्तियों से जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तारीख हो तीस दिनों की अविध के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और राजपत्र की प्रतियां जनता को 9 अप्रैल, 2015 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है:

अतः, अब खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण उक्त अधिनियम की धारा 20 और 22 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अविषष्ट) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :

विनियम

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अविषष्ट) (संशोधन) विनियम, 2015 है।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

4758 GI/2015 (1)

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अविषष्ट) विनियम, 2011 में "फसल संदूषकों और प्राकृतिक रूप से आने वाले विषैले पदार्थों" से संबंधित विनियमन 2.2 के उप-विनियमन 2.2.1 में, खंड 1 और उसके अधीन सारणी के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट किसी भी खाद्य पदार्थ में कोई फसल संदूषक, जो स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, उस मात्रा से अधिक समाविष्ट नहीं होगा जो उक्त सारणी के स्तंभ 4 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है :

सारणी

क्रम सं.	संदूषक का नाम	खाद्य पदार्थ	यू. जी/कि.ग्रा. मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	एफ्लाटाक्सिन	अनाज और अनाज के उत्पाद	15
		दलहन	15
		गिरिदार फल	
		गिरिदार फल जिनका और प्रसंस्करण होना	15
		है	
		खाने के लिए तैयार	10
		सूखा अंजीर /गूलर	10
		तेलहन या तेल	
		तेलहन जिनका और प्रसंस्करण होना है	15
		खाने के लिए तैयार	10
		मसाला	30
2.	एफ्लाटाक्सिन एम- 1	दूध	0.5
3.	ओकराटाक्सिन ए	गेहूं, जौ और राइ	20
4.	पेटयूलिन	सेब का जूस और अन्य पेय में सेब के जूस के	50
		संघटक	
5.	डीआक्सीनिवालिनाल	गेंह	1000"

आशीष बहुगुणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी [विज्ञापन- III/4/असा./187-ओ/15(252)]

टिप्पणः मूल विनियमों को भारत के राजपत्र असाधारण में अधिसूचना संख्यांक एफ सं. Z-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकशित किया गया था और अधिसूचना फा.सं.1-12/एससीआई.पैनल/ (अधिसूचना)/एफ़एसएसएआई/2012, तारीख 3 दिसंबर, 2014 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, 4th November, 2015

F.No.1-99/1/SP(contaminants)/FSSAI/2009.—Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) (Amendment) Regulations, 2015 were published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F.No P. 15025/264/13-PA/FSSAI dated the 9th April, 2015 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 9th April, 2015;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 92 read with section 20 and 22 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, namely:-

Regulations

- **1. Short title and commencement.-** (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) (Amendment) Regulations, 2015
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- 2. In the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, in regulation 2.2 relating to "Crop Contaminants and naturally occurring toxic substances", in sub-regulation 2.2.1, for clause in clause 1 and the table thereunder, the following shall be substituted, namely:-
- "1. No article of food specified in column (3) of the Table below shall contain any crop contaminant specified in the corresponding entry in column (2) thereof in excess of quantities specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table:

TABLE

S.No.	Name of the Contaminants	Article of the food	Limit ug/kg
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Aflatoxin	Cereal and Cereal Products	15
		Pulses	15
		Nuts	
		Nuts for further processing	15
		Ready to eat	10
		Dried figs	10
		Oilseeds or oil	
		Oilseeds for further processing	15
		Ready to eat	10
		Spices	30
2.	Aflatoxin M ₁	Milk	0.5
3.	Ochratoxin A	Wheat, barley and rye	20

4.	Patulin	Apple juice and Apple juice ingredients	50
		in other beverages	
5.	Deoxynivalenol	wheat	1000".

ASHISH BAHUGUNA, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./187-O/15 (252)]

Note. - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification No. 1-12/Sci.Panel/(Notification)/FSSAI/2012, dated the 3rd December, 2014.